सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन

2018-19

राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड

(पर्यावरण विभाग–राजस्थान सरकार)

Scanned by CamScanner

परिचय

अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार अगली सदी के दौरान प्रजाति विलोप का सबसे बड़ा अकेला कारण कटिबंधीय वनों का विनाश होगा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि किसी भी एक प्रजाति का अतिदोहन भी अन्य प्रजातियों के विलोप का कारण बन सकता है। इसलिए प्रकृति के इस नाजुक संतुलन के साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए।

समस्त भूमंडल पर हो रहा जैव विविधता क्षरण समस्त राष्ट्रो हेतु चिंतनीय विषय होने से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सामूहिक प्रयास किये गये। वर्ष 1994 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संधि का सदस्य बनने के बाद भारत सरकार द्वारा जैव विविधता संरक्षण हेतु विद्यमान संरचना को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये कई कदम उठाये गये है। इस दिशा में कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संसद के अनुमोदन एवं महामहिम राष्ट्रपति की सहमति से दिनांक 5 फरवरी, 2003 को स्थापित किया गया, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का अधिनियम संख्या 18) एक महत्वपूर्ण कदम है। उक्त अधिनियम में जैव संसाधनों एवं उनकी विविधता के संरक्षण, उनके अवयवों के सतत् उपयोग तथा इन संसाधनों, इनके ज्ञान व सम्बन्ध विषयों के व्यावसायिक उपयोग से होने वाले लाभों के उचित एवं साम्यपूर्ण रीति से हितधारकों में बंटवारे की व्यवस्था की गई है।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये राजस्थान सरकार द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 02 मार्च, 2010 जारी कर राजस्थान जैव विविधता नियम, 2010 जारी किए गए।

उक्त अधिनियम की धारा–22 के प्रावधानानुसार, इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिये प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की जानी है, तद्नुसार राजस्थान सरकार द्वारा राज्यादेश क्रमांकः प.4(8)वन/2005/पार्ट–I जयपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2010 से राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई।

बोर्ड के कार्य :–

- **जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 23 के अनुसार बोर्ड के कार्य निम्नानुसार हैं:–**

(a) जैव विविधता के संरक्षण, उसके अवयवों के सतत् उपयोग एवं जैव संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों में सहभागियों की साम्यपूर्ण हिस्सेदारी से सम्बन्धित विषयों पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार को सलाह देना।

Scanned by CamScanner

(b) भारतीयों द्वारा किसी भी जैव संसाधन के व्यावसायिक उपयोग या जैव–सर्वेक्षण एवं जैव उपयोग हेतु प्रस्तुत आवेदनों को अनुमोदन प्रदान करना या अन्यथा रूप से विनियमित करना।

(c) ऐसे कार्यों का निष्पादन करना जो जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो या जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये जावें।

उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड निम्न दिशाओं में कार्य कर रहा है :–

(a) मानव की खुशहाली के लिये जैव विविधता एवं इसके महत्व के बारे में जनसाधारण को जागरूक करना।

(b) जैव संसाधनों के विकेन्द्रित प्रबन्धन के लिये पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद एवं नगरीय निकाय स्तर पर जैव विविधता प्रबन्ध समितियों का गठन करना।

(c) सम्बन्धित जैव विविधता प्रबन्ध समिति के माध्यम से स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से उस क्षेत्र की जैव विविधता, उसके उपयोग, परम्परागत ज्ञान एवं इससे सम्बन्धित उपयोग को लोक जैव विविधता पंजिका के रूप में अभिलिखित करना।

(d) क्षेत्र विशेष की लोक जैव विविधता पंजिका के आधार पर जैव संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबन्धन का कार्य प्रारम्भ करना।

(e) राज्य के जैव विविधता विरासत स्थलों एवं देव वनों की पहचान करना तथा सम्बन्धित जैव विविधता प्रबन्ध समिति की सलाह अनुसार उनकी प्रबन्ध योजना तैयार करना।

(f) राज्य की वनस्पति एवं जीव संसाधनों के सम्बन्ध में डिजिटाईज्ड (Digitized) अभिलेखों का संधारण करना।

(g) राज्य के जैव विविधता से सम्बन्धित विषयों पर अध्ययन करना एवं कराना।

(h) राज्य के जैव संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग से सम्बन्धित गतिविधियों को नियंत्रित करना।

(i) राज्य की जैव विविधता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करना।

(j) विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के छात्रों, शिक्षकों, अन्वेषणकर्ताओं, वैज्ञानिकों, नीति निर्धारकों, जैव विविधता प्रबन्ध समिति के सदस्यों, उद्योगपतियों, किसानों, पशुपालकों एवं स्थानीय परम्परागत ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के लिये जैव विविधता के सम्बन्ध में कार्यशालाओं का आयोजन करना।

(k) जैव विविधता अधिनियम, 2002 एवं राजस्थान जैव विविधता नियम, 2010 के प्रावधानानुसार राज्य के जैव संसाधनों तक पहुच की अनुमति से सम्बन्धित गतिविधियों को नियंत्रित करना।

Scanned by CamScanner

बोर्ड का गठन :–

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.4(8) वन/2005/पार्ट–1 जयपुर दिनांक: 14.09.2010 से राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड के निम्न सदस्य हैं :–

1.	अध्यक्ष, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	पांच गैर–शासकीय सदस्य	गैर–शासकीय सदस्य
3.	निदेशक, कृषि, जयपुर।	पदेन सदस्य
4.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।	पदेन सदस्य
5.	जनजातिय क्षेत्रिय विकास, आयुक्त उदयपुर अथवा आयुक्त द्वारा नामित अतिरिक्त आयुक्त, जनजातिय क्षेत्रिय विकास।	पदेन सदस्य
6.	निदेशक, आयुर्वेद, अजमेर।	पदेन सदस्य
7.	सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर।	सदस्य सचिव

बोर्ड के अध्यक्ष एवं सहयोगी कर्मकार :–

राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड में वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नानुसार अधिकारी पदस्थापित रहे है :–

क्र.सं.	पदाधिकारी	नाम	अवधि
1.	अध्यक्ष	श्री राजीव कुमार त्यागी भा.व.से	01.04.2018 से लगातार....
2.	सदस्य सचिव	श्री तेजेन्द्र शर्मा, भा.व.से. श्री भेरा राम भादू, भा.व.से.	1.04.2018 से 19.08.2018 20.08.2018 से लगातार ....
3	मुख्यप्रबंधक (तकनीकी)	श्री देवेन्द्र भारद्वाज, रा.व.से. श्री मनोज कुमार शर्मा (अतिरिक्त कार्यभार) श्री बनवारी लाल शर्मा	1.04.2018 से 06.07.2018 तक 07.07.2018 से 03.09.2018 04.10.2018 से लगातार ... 04.09.2018 से 03.10.2018 तक
4	मुख्य प्रबंधक (लेखा एवं प्रशासन)	श्री देवेन्द्र भारद्वाज, रा.व.से. (अतिरिक्त कार्यभार) श्री मनोज कुमार शर्मा (अतिरिक्त कार्यभार) श्री बनवारी लाल शर्मा, रा.व.से. (अतिरिक्त कार्यभार)	1.04.2018 से 06.07.2018 तक 07.07.2018 से 03.09.2018 04.10.2018 से लगातार ... 04.09.2018 से 03.10.2018 तक
5	प्रबंधक (तकनीकी)	श्री मनोज कुमार शर्मा (क्षेत्रीय वन अधिकारी)	01.04.2018 से लगातार
6.	क्षेत्रीय वन अधिकारी	—	—
7	सहायक लेखाधिकारी	श्री संतोष शर्मा श्री कमलेश त्रिवेदी	01.04.2018 से 22.05.2018 23.05.2018 से लगातार

Scanned by CamScanner

बोर्ड के कार्यों के सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन के लिये अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के अतिरिक्त राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांकः प.4(8)/05/IV/पर्या./2011 जयपुर, दिनांकः 18.03.2011 एवं आदेश क्रमांकः प.4(8)/05/IV/पर्या./2011 जयपुर, दिनांक : 09.04.2013 से बोर्ड में अधिकारियों एवं सहयोगी कर्मकारों के निम्न 12 पद स्वीकृत किये गये।

क्र. स.	पदनाम	संख्या	पे–बैंड	ग्रेड पे	पे–लेवल	नियुक्ति का माध्यम
1.	मुख्य प्रबन्धक (प्रशासन/लेखा)	1	15600–39100	7600	L–19	राजस्थान लेखा सेवा का अधिकारी प्रतिनियुक्ति से
2.	मुख्य प्रबन्धक (तकनीकी)	1	15600–39100	6600	L–16	उप वन संरक्षक, वन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
3.	वरिष्ठ निजी सहायक	1	9300–34800	4800	L–12	वन/पर्यावरण/अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
4.	प्रबन्धक (तकनीकी)	1	15600–39100	5400	L–14	सहायक वन संरक्षक वन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
5.	स्टेनो	1	9300–34800	3600	L–10	वन/पर्यावरण/अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
6.	सहायक प्रोग्रामर	1	9300–34800	3600	L–10	सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
7.	लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी	1	9300–34800	4200	L–11	कोष एवं लेखा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
8.	क्षेत्रीय वन अधिकारी IInd	1	9300–34800	4200	L–11	वन/पर्यावरण/अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
9.	वरिष्ठ लिपिक	1	9300–34800	2800	L–8	वन/पर्यावरण/अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
10.	कनिष्ठ लिपिक	1	5200–20200	2400	L–5	वन/पर्यावरण/अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
11.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	4750–7440	1700	L–1	वन/पर्यावरण/अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
12.	मशीन विद् मैन	2	–	–	–	हायरिंग ऑन कान्ट्रेक्ट बेसिस

Scanned by CamScanner

जैव विविधता प्रबन्ध समितियों का गठन

जैव विविधता अधिनियम 2002, की धारा 41 एवं राजस्थान जैव विविधता नियम, 2010 के नियम 23 में जैव विविधता के सरंक्षण, इसके सतत् उपयोग तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, भूमि की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, पुरातन कृषि व्यवस्था व प्रजातियों का विवरण, पालतू पशुओं एवं उनकी नस्लों का विवरण, सूक्ष्म जीवों व जैव विविधता से सम्बन्धित ज्ञान को व्यवस्थित करने इत्यादि सहित जैव विविधता के अभिलेखन हेतु प्रत्येक स्थानीय निकाय यथा ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद्, नगर निगम, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् स्तर पर जैव विविधता प्रबन्ध समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। उक्त समितियॉ अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करेंगी। जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के मुख्य कार्य निम्नानुसार है:—

1. स्थानीय लोगों के परामर्श से जैव विविधता पंजिका बनाना, उसका संधारण करना तथा सत्यापन करना। जैव विविधता समिति एक ऐसी पंजिका संधारित करेगी जिसमें जैव संसाधनों तक पंहुच, उनके सम्बन्ध में उपलब्ध परम्परागत ज्ञान का विस्तृत विवरण, संग्रहण शुल्क के निर्धारण का विवरण, उनसे प्राप्त लाभों का विवरण तथा उसके साम्यपूर्ण बंटवारे की व्यवस्था की सूचना संकलित की जावेगी।
2. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा जैव संसाधनों के उपयोग के सम्बन्ध मे अनुमति दिये जाने एवं जैव संसाधनों का उपयोग करने वाले स्थानीय वैद्य व चिकित्सक के सम्बन्ध मे सूचना संधारित करने बाबत् प्रेषित विषयों पर सलाह देना।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 27, 32 एवं 43 तथा राजस्थान जैव विविधता नियम, 2010 के नियम 18 व 24 में राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय एवं स्थानीय स्तर पर जैव विविधता कोष की स्थापना, लाभांश के दावेदारों में लाभांश के वितरण की व्यवस्था, जैव संसाधनों का संरक्षण एवं विकास, उनसे सम्बद्ध ज्ञान एवं इन क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की व्यवस्था की गई है।

जैव विविधता प्रबंध समितियों का पंजीयन :—

- 119 जैव विविधता प्रबंध समितियों का पंजीकरण बोर्ड में किया जा चुका है।

Scanned by CamScanner

वर्ष 2018–19 में गठित जैव विविधता प्रबंध समितियों का विवरण निम्नानुसारः–

पंजीयन क्रमांक	जैव विविधता संरक्षण समिति का नाम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला
114	साँखला	साँखला	टोंक	टोंक
115	चन्दलाई	चन्दलाई	टोंक	टोंक
116	नाथडी	नाथडी	टोंक	टोंक
117	अरनिया केदार	अरनिया केदार	टोंक	टोंक
118	कवराबाँस	कवराबाँस	टोडारायसिंह	टोंक
119	मेहरू	मेहरू	टोडारायसिंह	टोंक

राजस्थान राज्य में टोंक जिले के अन्तर्गत अधिकतम जैव विविधता प्रबंध समितियों का गठन एवं विशेष तौर पर टोडारायसिंह पंचायत समिति के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतो में जैव विविधता प्रबंध समितियों का गठन किये जाने के फलस्वरूप एवं समितियों की जागरूकता को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन टोडारायसिंह पंचायत समिति अन्तर्गत बीसलपुर बांध के निकट जो कि जैव विविधता की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्थल होने के कारण किया गया। इस अवसर पर 25 जैव विविधता प्रबंध समितियों के 651 सदस्यो द्वारा भाग लिया गया। इस अवसर पर वन्य जीवों के संरक्षण एवं बंदी वन्यजीव के पुनर्वास पर एक लघु नाटिका का मंचन किया गया। जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन व स्वच्छ भारत अभियान को आमजन तक पहुचाने हेतु कठपुतली कार्यक्रम एवं नुक्कड नाटक का मंचन किया गया।

Scanned by CamScanner

अध्यक्ष, बोर्ड द्वारा अतिथियों का तुलसी के पौधे से स्वागत

जैव विविधता प्रबंध समितियों के सदस्यों का पंजीयन

Scanned by CamScanner

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस

प्रत्येक वर्ष आयोजित किये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हेतु भिन्न–भिन्न विषय जो कि जैव विविधता को संरक्षण एवं संवर्धन से सम्बंधित होते हैं, के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2018 का विषय जैव विविधता के लिये 25 वर्षो के कार्य (CELEBRATION 25 YEARS OF ACTION FOR BIODIVERSITY) था। इस अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम टोंक जिले में वन विभाग की थड़ोला नर्सरी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष जिला प्रमुख श्री सत्य नारायण चौधरी एवं मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक श्री कन्हैयालाल चौधरी रहे। इस अवसर पर बोर्ड के अध्यक्ष श्री राजीव कुमार त्यागी को नैतिक जिम्मेदारी संभालने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिले की लगभग 25 जैव विविधता प्रबंध समितियों के विभिन्न पदाधिकारियों स्थानीय व्यक्तियों सहित लगभग 500 व्यक्तियों द्वारा भाग लिया गया।

जैव विविधता के महत्व एवं संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति जागरूकता करने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जिलों में अन्तर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया।

जैव विविधता दिवस पर प्रकाशित पोस्टर

Scanned by CamScanner

मुख्य अतिथि द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम

पक्षियों के लिये चुग्गा पात्र एवं परिंडे बांधे

Scanned by CamScanner

➢ अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के आयोजन की कड़ी मे पूरे सप्ताह भर आयोजित किये गये विभिन्न कार्यक्रम।

जैव विविधता प्रबंध समिति के सदस्यों को जैव विविधता के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए

रैली के माध्यम से जैव विविधता के महत्व का संदेश

Scanned by CamScanner

कठपुतली के कार्यक्रम द्वारा जैव विविधता का संदेश

महिलाओं एवं बच्चों में जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागृति

Scanned by CamScanner

अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के उपलक्ष में राज्य के विभिन्न जिलों में निबंध लेखन, रैली, कार्यशाला, संगोष्ठीयों, परिंडा अभियान आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

उदयपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम

जैव विविधता दिवस पर शहर एवं जिले में विभिन्न संगठनों, सरकारी विभागों और संस्थाओं की ओर से आमजन को प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण का संदेश दिया गया। वन विभाग ने जैव विविधता पार्क में आमजन का प्रवेश निःशुल्क रखा गया। मौके पर लोगों की ओर से पार्क में इकोट्रेकिंग की गई। इस मौके पर वन विभाग की ओर से आयोजित संगोष्ठी को वन संरक्षक (उत्तर) ओपी शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले आयोजन के महत्व की जानकारी दी। स्काउट–गाइड सीओ छैल बिहारी शर्मा, स्काउट्स प्रभारी किशनलाल, सैम्यूनल फ्रांसिस, उप वन संरक्षक आरके जैन, वीरपालसिंह राणा, प्रतापसिंह चूण्डावत ने विचार व्यक्त किए। विश्व जैव विविधता दिवस को लेकर वाइल्ड एण्ड स्ट्रीट एनिमल रेस्क्यू सोसायटी, प्रोटेक्ट लेपर्ड, प्रोजेक्ट और स्नेक फेक्ट मिशन और प्रोटेक्ट पेंगोलिन मिशन के तत्वाधान में सेमिनार का आयोजन हुआ। वन संरक्षक इंद्रपालसिंह मथारू थे। संचालन सहायक वन संरक्षक डीके तिवारी ने किया। राजस्थान विद्यापीठ के संघटक बीएससी एग्रीकल्चर की संगोष्ठी में कुलपति एसएस सारंगदेवोत ने कहा कि जीवन में जैव विविधता का काफी महत्व है। हम सभी को ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना है। वन्यजीव मंडल की ओर से सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य एवं जैविक उद्यान सज्जनगढ़ परिसर में वन विभाग की ओर से प्लास्टिक कचरा संग्रहण कर जैव विविधता संरक्षण की जानकारी दी गई।

डूंगरपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम

वन विभाग एवं स्काउट गाइड संघ के तत्वाधान में जैव विविधता दिवस मनाया गया। दो नदी नर्सरी में गोष्ठी हुई। मुख्य वक्ता नेचर क्लब के वीरेन्द्रसिंह बेडसा ने बताया कि जैव विविधता संरक्षण आज के समय की महत्ती आवश्यकता है। देश जितना सम्पन्न है, जैव विविधता में मिली जैव विविधता के संरक्षण की जरूरत है। कार्यवाहक उपवन संरक्षक फुरकान अली ने विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सहभागी बनने का आह्वान किया। सहायक वन संरक्षक प्रशांत गर्ग, क्षेत्रीय वन अधिकारी बद्रीलाल परमार, धुलाराम पंचाल सेवूलाल मीणा ने विचार रखे। प्रत्येक रेंज कार्यालय, नाका, चौकी, नर्सरी में पक्षियों के लिये परिंडे बांधने का संकल्प दिलाया। महारावल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कौशल विकास एवं अभिरूचि प्रशिक्षण शिविर में पोस्टर व निबंध प्रतियोगिता हुई। इसमें 101 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विजेताओं को पांच जून को पर्यावरण दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान पक्षियों के लिए परिंडे बांधे गए। सीओ स्काउट सवाई सिंह ने बताया कि मुख्य अतिथि शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी श्री गटूलाल अहारी एवं विशिष्ट अतिथि उपाचार्य राकेश चौबीसा थे। संचालन गणेशलाल मोदी ने किया।

जैव विविधता पर जानकारी देते नेचर क्लब के पदाधिकारी

Scanned by CamScanner

सीकर जिले में आयोजित कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर वन विभाग ग्रीन कोर, राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड सीकर के संयुक्त तत्वाधान में राधाकृष्ण मारू राजकीय बालिका स्कूल में कार्यक्रम हुआ। सुबह सात बजे स्काउट गाइड, वन विभाग एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संगोष्ठी हुई। जैव विविधता पर भाषण, निबंध, पोस्टर, मेहंदी प्रतियोगिता हुई। इससे पूर्व मारू स्कूल से साईकिल रैली निकाली गई। रैली नवलगढ़ पुलिया, कल्याण सर्किल, अस्पताल, पुलिस लाइन, श्रमदान मार्ग, तापडिया बगीची होते हुए वापस मारू स्कूल पहुंची।

संगोष्ठी के बाद जिला कलक्टर सीकर नरेश कुमार ठकराल और विधायक रतन लाल जलधारी की मौजूदगी में पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। समारोह में अतिथियों ने कहा कि जैव विविधता को बनाए रखने पर प्रकृति को बचाया जा सकता है। इस दौरान विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। स्काउट गाइड ने पक्षियों के चुग्गा पात्र, पानी के लिए परिंडा, पशुओं के लिए खेळी भरने का अभियान शुरू किया। वन विभाग एवं स्काउट गाइड की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई। स्काउट्स ने जैव विविधता पर नृत्य नाटिका जैव विविधता प्रस्तुत की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राधाकृष्ण मारू बालिका सीनियर सैकण्डरी स्कूल में विश्व जैव विविधता दिवस पर जागरूकता शिविर लगाया गया। प्राधिकरण की वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग शर्मा ने जैव विविधता दिवस की जानकारी देते हुए पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता बताई।

सीकर कार्यक्रम में प्रतिभा को सम्मानित जिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

जिला स्तरीय कार्यशाला :–

श्री एस.एस.जैन सुबोध पी.जी. महाविद्यालय जयपुर में दिनांक 28 व 29.09.2018 को जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर श्री राजीव कुमार त्यागी, विभिन्न शिक्षण संस्थानो से पधारे हुए विद्वान प्रोफेसर ए.के.जैन, अश्वनी कुमार, मोनालिसा कुलक्षेष्ठ आदि ने भाग लिया। विद्वजनों के अतिरिक्त एस.एस.जैन सुबोध कॉलेज के विद्यार्थियो द्वारा भी भाग लिया गया। कार्यशाला में जैव विविधता संरक्षण संबंधी विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।

इस दौरान दिनांक 29.09.2018 को कुलिश स्मृति वन में विभिन्न प्रजातियों की सुगम पहचान आदि के संबंध में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। व्यावहारिक प्रशिक्षण पूर्व उप वनसंरक्षक, जैव विविधता बोर्ड, जयपुर श्री देवेन्द्र कुमार भारद्वाज द्वारा दिया गया।

मुख्य अतिथि द्वारा दीपक प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन

Scanned by CamScanner

कार्यशाला में उपस्थित सदस्य

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (National Law University, Jodhpur) में आयोजित सेमीनार :-

13 से 14 फरवरी, 2019 को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (National Law University, Jodhpur) में एक राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों अनुसार कार्य प्रणाली एवं जैव विविधता स्त्रोतों से प्राप्त लाभ का बंटवारा विषय पर एक सेमीनार का आयोजन किया गया। इस सेमीनार में विभिन्न राज्य से सम्बंधित संस्थानों एवं राष्ट्रीय संस्थानों में कार्यरत् विषय-विशेषज्ञों द्वारा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के छात्र व छात्राओं एवं विभिन्न विभागो से आमंत्रित प्रतिभागियों के साथ विस्तृत विमर्श किया गया।

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के प्राचार्यो एवं अन्य विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न राज्यों में चल रही कानूनी समस्या प्रकरण आदि पर विस्तृत जानकारी दी गई। यह भी उनके द्वारा बतलाया गया किं किस प्रकार नामी कम्पनियों द्वारा जैव विविधता स्त्रोतों का उपयोग किया गया एवं उनमें किस प्रकार की अनियमितताऐं पाई गई एवं किस प्रकार उनका निस्तारण किया गया।

Scanned by CamScanner

जैव विविधता बोर्ड राजस्थान के प्रतिनिधी द्वारा प्रतिभागियों को सम्बोधन।

सेमीनार में उपस्थित प्रतिभागीगण

Scanned by CamScanner

वित्त एवं लेखे

राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की वर्ष 2018–19 की वित्तीय उपलब्धियां निम्नानुसार है:–

D.D.SHARMA AND CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
2,New Colony, M.I.Road,, Jaipur
1657, Civil lines , sikar, Raj.
Contact : 9784036877, 9414288042,0141-2361606
Email : sharmadd2222@gmaill.com, ashu.sharma3333@gmail.com

AUDITORS' REPORT

1. We have examined the Balance sheet as at 31 st March ,2019 and the Income & expenditure
   Account of Rajasthan state Biodiversity board Jaipur for the Year ended on that date.

2. We certify that balance sheet and income & expenditure are in agreement with the books of account maintained at the office at Jaipur.
3. Subject to above :
   a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of the audit.
   b. In our opinion proper books of account have been kept by the foundation so far as appears form our examination of the books.
   c. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts, read with notes thereon give a true and fair view.

      (i) In the case of the Balance sheet , of the state of the affairs of the foundation as at 31 st March, 2019 and
      (ii)In the case of the income of expenditure account of the deficits for the period ended on that date.

For D.D.SHARMA & CO.
Chartered Accountants

D.D. Sharma

(CA D.D. SHARMA)
M.NO.10436

D.D. SHARMA & CO. Chartered Accountants JAIPUR

Date: 14-06-2019
Place: Jaipur

Scanned by CamScanner

RAJASTHAN STATE BIODIVERSITY BOARD,JAIPUR

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31-03-2019

Particulars	Amount	Particulars	Amount
To Audit Fee	25000.00	By Grant form State Govt.	16900000.00
" Accounting Charges	5000.00	" Interest Income	288828.00
" Advertisement Exp.	450523.00	" Refund From DCF	58895.00
" Advertisement & Publication exp	58446.00		
" Telephone exp.	60349.00		
" Bonus	13548.00		
" Building Rent	957480.00		
" Cleaning Exp.	24000.00		
" Computer Opreator Charges	101600.00		
" DA Arrears	52306.00		
" Salary Arrears	711303.00		
" Electric Exp.	91351.00		
" Salary Exp.	10142380.00		
" International Biodiversity Day	970000.00		
" Medical Exp.	43576.00		
" Other Office Exp.	83202.00		
" Printing & Stationery Exp.	36902.00		
" Professional Fee	164700.00		
" Security Services	367478.00		
" Travelling Exp.	168611.00		
" Vehicle Running Exp.	272348.00		
" Surplus : Excess of Income over Exp.	2447620.00		
	17247723.00		17247723.00

FOR RAJASTHAN STATE BIODIVERSITY BOARD

(Authorised Signatory)

सदस्य सचिव
राजस्थान स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड
जयपुर

AUDITOR'S REPORT

In Term of our seprate report of even date annexed herewith.

D.D.SHARMA & CO.

(CA D.D.SHARMA)
Chartered Accountant

Place : Jaipur
Dated : 14/06/2019

Scanned by CamScanner

RAJASTHAN STATE BIODERSITY BOARD, JAIPUR

BALANCE SHEET AS ON 31-03-2019

Liabilities		Amount	Assets		Amount
Capital Fund		14894116.00	**Fixed Assets**		
Opening Bal.	12446496.00		Camera		85000.00
Add.: Surplus	2447620.00		Celling Fan		15000.00
			Computer And Printer		348158.00
			Desort Cooler		56690.00
			EPBX		74446.00
			Fax Machine		17975.00
			Furniture		588237.00
			Mobile Phone and Tablet		187731.00
			Sound Systems		89482.00
			Televsion		87800.00
			Exrox Machine		90755.00
			Current Assets		
			Cash In Hand		10000.00
			Bank Bal.		13242842.00
			PD A/C (NBA)	7502035.00	
			PD A/C (ST.GOVT)	5740807.00	
		14894116.00			14894116.00

FOR RAJASTHAN STATE BIODIVERSITY BOARD

(Authorised Signatory)
सदस्य सचिव
राजस्थान स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड
जयपुर

AUDITOR'S REPORT

In Term of our seprate report of even date annexed herewith.

D.D.SHARMA & CO.

(CA D.D.SHARMA)
Chartered Accountant
M.No.10436

D.D. SHARMA & CO. JAIPUR Chartered Accountants

Place : Jaipur
Dated : 14/06/2019

Scanned by CamScanner

राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड

प्लॉट नं. 7, शारदा, द्वारकापुरी, जमना लाल बजाज मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

Rajasthan State Biodiversity Board

Plot No. 7, Sharda, Dwarkapuri, Jamna Lal Bajaj Marg, C-Scheme, Jaipur
Phone : 0141-2362188, 0141-2362088 E-mail : rajasthansbb@gmail.com
www.rsbb.rajasthan.gov.in, rasbb.rajasthan.gov.in

Printed by : Raj. State Co-operative Press Ltd., Jaipur Ph. : 0141-2751417

Scanned by CamScanner